संख्या-759/2024/2196/41-1-2024-**सी0एन0**-1597052/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम**,**
प्रमुखसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर**,**2024

विषय:-राज्य सेक्टर की योजनाओं हेतु जारी गाइडलाईन्स में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-47/2022/आई/139629/41-1099/2/2022/13(सा0)/2022**,** दिनांक 10 फरवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके द्वारा पर्यटन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास से संबंधित राज्य सेक्टर की योजनाओं हेतु गाइडलाईन्स निर्गत की गयी हैं।

2- उल्लेखनीय है कि अनेक पूंजीगत कार्य विभिन्न विभागों द्वारा अपने बजट से कराये जाते हैं**,** जो पर्यटन सुविधाओं के अन्तर्गत नहीं आते**,** फलस्वरूप द्विआवृत्ति की संभावना बनी रहती है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 10 फरवरी, 2022में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

i. शासनादेश दिनांक 10 फरवरी, 2022 के प्रस्तर-2(4)**अयोग्य (Inadmissible)कार्यों की सूची** में निम्न कार्यों को जोड़ा जाता है :-

- युवक मंगल दल से सम्बन्धित समस्त परियोजनाओंका कार्य युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत क्रियान्वित होते हैं।
- विभिन्न जिलों में स्वागत द्वारों की स्थापना के कार्य नगर विकास विभाग/पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत क्रियान्वित होते हैं।
- विभिन्न जिलों में पोखरे/तालाब का निर्माणअमृत सरोवर योजना/मनरेगा के अन्तर्गत क्रियान्वित होते हैं।
- विभिन्न जिलों में रामलीला ग्राउण्ड/शहीद स्मारकों से सम्बन्धित कार्य संस्कृति विभाग के अन्तर्गत क्रियान्वित होते हैं।
- इन्डिपेन्डेन्ट ऑडिटोरियम के कार्य संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन/भारत सरकार के टैगोर कल्चर कॉम्प्लेक्स स्कीम के अन्तर्गत क्रियान्वित होते हैं।

ii. शासनादेश दिनांक 10 फरवरी, 2022 के प्रस्तर-2(9)**योजनाओं की स्वीकृति**में9.7 के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापन किया जाता है :-

'आर्किटेक्ट को उसके शुल्क का भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना की प्रगति एवं आर्किटेक्ट की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर आर्किटेक्ट को सीधे किया जायेगा।'

iii. शासनादेश दिनांक 10 फरवरी, 2022 के प्रस्तर-2(2)**दिशा-निर्देश** में 2.18एवं 2.19 के रूप में निम्नवत्जोड़ा जाता है :-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- फसाड लाईट, लाइट एण्ड साउण्ड शो, भवन कंजर्वेशन, भवन अनुरक्षण, इंटीरियर वर्क, म्यूरल्स, लैण्ड स्केप आदि तथा अन्य बॉट आउट आईटम्स (Bought out items) से सम्बन्धित परियोजनाओं में सेन्टेज की धनराशि देय नहीं होगी।

- गैर सरकारी पर्यटन स्थलों में बाउण्ड्रीवॉल एवं गेट का प्राविधान नहीं किया जायेगा, उक्त कार्य सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा कराया जायेगा।

3- शासनादेश दिनांक 10 फरवरी, 2022उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश दिनांक 10 फरवरी, 2022की शेष शर्तें व प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/प्रमुख अभियन्ता/निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता/आयुक्त, उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0/लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0/कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम)/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग/उ0प्र0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0-यूपीसिडको)/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 निर्माण सहकारी संघ लि0-(यूपीआरएनएसएस)/उ0 प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (UPCLDF), लखनऊ, उ0 प्र0।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पृष्ठांकन के क्रमांक-3, 4 एवं 5 की प्रति सम्बन्धित को अपने स्तर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in